भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1569
दिनांक 15 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में स्वास्थ्य पर सामान्य से अधिक व्यय

1569 श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है विश्व में भारत स्वास्थ्य पर सामान्य से अधिक व्यय करने वाले देशों में से एक है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में कुल कितने प्रतिशत कोविड-19 मामलों का इलाज किया गया; और

(घ) क्या यह सच है गत तीन वर्षों के दौरान आयुष्मान भारत योजना के लिए आवंटन हेतु संशोधित अनुमान बजट अनुमान की तुलना में लगभग आधा कर दिया गया है, और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): 2017-18 हेतु भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों के अनुसार, वर्तमान स्वास्थ्य व्यय (सीएचई) के प्रतिशत के रूप में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (ओओपीई) 55.1% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए देश में सीएचई के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर ओओपीई क्रमशः 64.7%, 63.2% और 55.1% है और इसलिए ओओपीई में सीएचई के प्रतिशत के रूप में गिरावट की प्रवृत्ति है।

दिनांक 07 मार्च 2022 की स्थितिनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण प्लेटफॉर्म पर लेन देन के साथ-साथ राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा साझा की गई सूचना के संबंध में, आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी- पीएमजेएवाई) के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों में कोविड -19 के उपचार के लिए 30.60 करोड़ रुपये के लगभग 8.74 लाख अस्पताल प्रवेश को अधिकृत किया गया है।

एबी- पीएमजेएवाई का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019- 20, 2020-21 और 2021- 22 प्रत्येक वर्ष में योजना के लिए 6400 करोड़ रूपए का बजट अनुमान था जिसकी तुलना मे आरई क्रमश: 3200 करोड़ रूपए, 3100 करोड़ रूपए और 3199 करोड़ रूपए था। बजटीय आबंटन में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार समीक्षा के उपरांत निधियों के उपयोग के आधार पर बजटीय आबंटन में संशोधन किया जाता है। तदनुसार, राज्यों की कम आवश्यकता अथवा मांग के कारण आरई में कमी की गई थी।

योजना के किसी भी लाभार्थी को निधियों की कमी के चलते किसी भी उपचार से इंकार नहीं किया गया है।

*****